

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

## अभियन्त्रण विभाग

### निविदा सूचना

पत्रांक:- बु0वि0/अभि0वि0/2009/3810-13

दि: 06-01-2009

प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर तथा आवासीय परिसर आदि स्थानों पर बने पार्क-लानों तथा रोड किनारे लगे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के रख-रखाव (अनुरक्षण) कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायें सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दि0 15-01-2009 से 25-01-2009 तक विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर से रू0 2000/- + 10% व्यापार कर के नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं। धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के नाम देय / बन्धक होगी, के साथ संलग्न भरे हुये निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 26-01-2009 को सांय 3:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे एवं तथा उसी दिन सांय 4.00 बजे निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। विस्तृत जानकारी अभियन्त्रण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

## निविदा प्रपत्र

निविदा आमन्त्रण की तिथि	:-	07.01.2009
धरोहर की राशि	:-	रु. 50,000/-
निविदा खोलने की तिथि	:-	26.01.2009
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:-	रु. 2000/- + 10 प्रतिशत व्यापार कर
कार्य का समय	:-	एक वर्ष
निविदा की वैधता	:-	एक वर्ष

कार्य का नाम : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं आवासीय परिसर में स्थित समस्त पार्क / लॉन एवं पेड़-पौधों के अनुरक्षण / रख-रखाव का कार्य।

क्र.	कार्य का विवरण	आपेक्षित माली
	पार्क की घास, पौधे, हैज आदि को अनुभवी मालियों के द्वारा कटिंग करना, सही प्रकार की आकृति में रखना, दीमक रोधी उपचार करना, गोबर की खाद, यूरिया, पानी देना तथा खाद, दीमक रोधी, यूरिया आदि आवश्यकता के अनुरूप वि०वि० द्वारा आपूर्ति की जायेगी जिसका उपयोग वि०वि० प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा उपलब्ध कराया जायेगा एवं पार्कों की पूर्ण सफाई करना।	
1	आडीटोरियम भवन के सामने एवं प्रशासनिक भवन के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	2
2	रानी लक्ष्मीबाई पार्क के रख-रखाव हेतु।	1
3	सेन्ट्रल लाइब्रेरी के पास बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	1
4	आई०टी० भवन के अन्दर एवं भवन के पीछे बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	2
5	अर्थशास्त्र एवं वित्त भवन तथा लाइब्रेरी साइंस विभाग के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	2
6	विज्ञान भवन, फार्मसी, फूडटैक, माइक्रोवायलॉजी विभाग के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	2
7	आयुर्वेदिक भवन के सामने बने पार्क के रख-रखाव हेतु।	1
8	राजीव गांधी इण्डोर स्टेडियम भवन के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	1
9	बुद्धा छात्रावास एवं समता छात्रावास के सामने बने पार्कों एवं आस-पास लगे पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	1
10	पी०जी० महिला छात्रावास के अन्दर बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	1
11	झलकारीबाई महिला छात्रावास एवं समता महिला छात्रावास के सामने बने पार्कों एवं आस-पास लगे पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	1
12	कुलपति निवास के अन्दर बने पार्कों, पेड़-पौधों एवं गमलों में पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	2
13	कुलसचिव निवास एवं वित्त अधिकारी निवास पर बने पार्कों, पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	1
14	कुलपति निवास के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	2
15	टाइप IV आवासों के सामने, हैल्थ सेन्टर, एवं शापिंग सेन्टर व झलकारीबाई मूर्ति के सामने बने पार्कों, एवं पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	1
16	सामुदायिक शिक्षा भवन के पीछे बने पार्कों एवं अन्दर लगे पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	2
17	सामुदायिक भवन के एवं टाइप I एवं टाइप II के आवासों के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	1
18	अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र एवं एनेक्सी भवन एवं विधि संस्थान के अन्दर बने पार्कों, पेड़-पौधों एवं गमलों में पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	2
19	होटल मैनेजमेन्ट भवन के पीछे व सामने बने पार्कों, पेड़-पौधों एवं गमलों में पेड़-पौधों के रख-रखाव हेतु।	2

2

20	प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक परिसर एवं आवासीय परिसर के समस्त सड़कों एवं डिवाइडरों पर लगे पेड़-पौधों के रख-रखाव एवं थाले बनाने हेतु एवं पत्रकारिता भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बने पार्कों के रख-रखाव हेतु।	3
	कुल योग	30

उपर्युक्त समस्त पार्कों, पेड़-पौधों आदि की संतोषजनक एवं पूर्ण रख-रखाव हेतु प्रतिमाह दर  
 रु..... (शब्दों में रु0 ..... ) मात्र पर मैं कार्य करने को तैयार  
 हूँ।


मेरे द्वारा एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक ..... रु. .... संलग्न  
 किया जा रहा है।

शर्तें:-

1. उपरोक्त मात्राओं के घटने अथवा बढ़ने पर ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
2. टेलीग्राफिक, सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा के साथ रु0 100/- मात्र का स्टैम्प पेपर एवं रु0 1/- का रेवेन्यु स्टाम्प संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. आयकर, व्यापार कर, स्टाम्प ड्यूटी की कटौती शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेगी।
6. पेड़-पौधों, पार्कों में लगी घास आदि की यथा समय यथा आवश्यकतानुसार टेंकर से सिचाई करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. अनुरक्षण अवधि में अगर कोई पेड़-पौधा सूखता है तो ठेकेदार को वही पेड़-पौधा उसी आकार का लगाना होगा अन्यथा की स्थिति में देयक से उक्त के निर्धारित मूल्य की कटौती की जायेगी।
8. पार्कों में पर्याप्त संख्या में मालियों की उपस्थिति न पाये जाने पर एवं रख-रखाव समुचित प्रकार से नहीं किये जाने की दशा में सक्षम अधिकारी/समिति की संस्तुति के आधार पर देयक से अनुपातिक कटौती की जायेगी।
9. सरकारी संस्थानों में पार्कों एवं पेड़-पौधों के रख-रखाव का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र झाँसी होगा।
11. ठेकेदार/फर्मों को सलाह दी जाती है कि निविदा दरें देने से पूर्व समस्त पार्कों, पेड़-पौधों आदि को देखकर ही दरें दें।
12. ठेकेदार को अपना पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
13. लॉन पार्कों, क्यारियों में इकठठा होने वाला कूड़ा यथा स्थान बाहर डालना होगा अन्यथा की दशा में देयक से कटौती की जायेगी।
14. मालियों की उपस्थिति प्रतिदिन ली जायेगी। अनुपस्थित पाये जाने पर रु0 100/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जायेगी।
15. ठेकेदार द्वारा पार्कों एवं पेड़-पौधों के रख-रखाव समुचित प्रकार से करना होगा, जिसका निरीक्षण समय-2 पर केयर टेकर द्वारा किया जायेगा। पार्कों में रखने वाले मालियों की सूची वि0वि0 को उपलब्ध करानी होगी।
16. वरसात के दिनों में फुटपाथों एवं डिवाइडरों के ऊपर तथा भवनों के आस-पास उग आई जंगली घास के निकालने का दायित्व भी ठेकेदार का होगा।
17. निविदा के आधार पर उक्तानुसार योग्य ठेकेदार की दरें स्वीकृत होने पर अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।



कार्यालय अधीक्षक (सम्पत्ति)



कुलसचिव